

12/2021

11/2021

रिपोर्ट पत्रकारिता / आदेश/2020/3000  
आवेदन पत्र के संलग्न में जान की गई। जिसके अनुसार

शहीदा  
शहीदा इलाहाबाद इलाहाबाद - आमार कांड  
व परिवार शरण कार्ड के आमार पर शहीदा का नाम सुरजीव सिंह पुत्र श्रीराम जी है  
/ श्रीराम जी है  
/ श्रीराम जी है

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी/गुडामोडजी

6/10/2021

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवादी/गुडामोडजी

दिनांक

क्रमांक - राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवादी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जान की अनिश्चया की जाती है / नहीं की जाती है।

श्रीराम जी

तहसीलदार, उदयपुरवादी/गुडामोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवादी जिला मुंबई (राज.)  
- आदेश :-

दिनांक :- 06/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्षी एवं तहसीलदार (गु0अ0) उदयपुरवादी/गुडामोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसार निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (गु0अ0) उदयपुरवादी/गुडामोडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरमाद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	उदयपुरवादी	2075-78	123	श्रीराम जी पुत्र श्रीराम जी दिनांक 1/12	शुद्ध प्रविष्टि श्रीराम जी पुत्र श्रीराम जी जानी जाए 18/1/2

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी

दिनांक :-

क्रमांक - राजस्व/2020/ 20-21

- 1 तहसीलदार (गु0अ0) उदयपुरवादी/गुडामोडजी को वारंट पालनार्थ।
- 2 प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी